"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 183] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जुलाई 2003—श्रावण 1, शक 1925

वित्त तथा योजना विभाग

[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/55/2003/वा. क. (पं.)/पांच (68).—राज्य शासन, भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, एतद्द्वारा नई लघु औद्योगिक इकाईयों को उद्योग स्थापित करने के लिये बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण/अग्रिम प्राप्त करने के संबंध में निष्पादित विलेखों पर, उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 क के अनुच्छेद (6) के तहत, उद्योग विभाग द्वारा किये गये स्थायी पंजीयन के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि तक के लिये, प्रभार्य स्टॉम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है एवं इस प्रयोजन हेतु लघु औद्योगिक इकाईयों (ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ, जिनमें 1 करोड़ रुपये तक का पूंजी निवेश किया गया हो) को उद्योग आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य किया जाएगा.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त, 2003 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्रमांक एफ-10/55/2003/वा. क. (पं.)/पांच (68).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/55/2003/वा. क. (पं.)/पांच (68), दिनांक 23-7-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd July 2003

NOTIFICATION

No. F-10/55/2003/C. T. (R)/V (68).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (1) of Section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby exempts stamp duty on instruments chargeable under article 6 of schedule 1-A of said Act, executed by new small scale industrial units for obtaining loan/advance from banks/financing institutions for the purpose of establishing industry for a period of three years from the date of their permanent registration with the Industries Department and for this purpose certificate issued to small scale industry (such industrial units which have capital investment upto Rs. 1 Crore) by Commissioner, Industries or an officer authorised by him shall be accepted.

2. This notification shall come into force with effect from 1st August, 2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/56/2003/वा. क. (पं.)/पांच (69).—भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-6-6 वा. क.-पांच-90, दिनांक 29-12-1990 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 6 (2) (क) में उपदर्शित हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम या गिरवी से संबंधित करार विलेखों पर प्रभार्य स्टॉम्प शुल्क निम्नानुसार कम करती है, अर्थात् :-

"अधिकतम प्रचास हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम का 0.5 प्रतिशत."

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त, 2003 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्रमांक एफ-10/56/2003/वा. क. (पं.)/पांच (69).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/55/2003/वा. क. (पं.)/पांच (69), दिनांक 23-7-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd July 2003

NOTIFICATION

No. F-10/56/2003/C. T. (R)/V (69).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (1) of Section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby makes the following further amendment in this department's notification No. B-6-V-S-T-90, dated 29-12-1990.

AMENDMENT

On agreements relating to deposit of title deeds, pawn and pledge, reduces the stamp duty chargeable under Artical 6 (2) (A) of schedule 1-A as follows :-

"0.5 percent of the amount secured by such deed, subject to a maximum of fifty thousand rupees."

2. This notification shall come into force with effect from 1st August, 2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.